लखपति दीदी - विविध आजीविकाओं के अवसर

*चरणजीत सिंह
**रमन वाधवा

स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए अब सतत आजीविकाएं विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। चूंकि गरीब परिवारों को स्वयंसहायता समूहों में शामिल करने की प्रक्रिया और वित्तीय समावेशन संतृप्ति स्तर पर पहुँच चुका है। आजीविका हस्तक्षेपों के तहत, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में विभिन्न आजीविका मॉडल बनाने और उन्हें इस तरह से संयोजित करने पर ज़ोर दिया जाता है कि परिवार की आय में इस तरह से वृद्धि हो कि प्रत्येक परिवार साल में कम से कम एक लाख रुपये कमाए यानी वह लखपति बन जाए। लखपति दीदी बनाने की इस पहल में एकीकृत कृषि क्लस्टर (IFC) की उप-योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) दुनिया भर में गरीबी उन्मूलन के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है, जिसे भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में चलाया जा रहा है। मिशन ने अपनी समावेशन रणनीति के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक परिवारों को 91 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और उनके उच्च सामुदायिक संस्थानों में संगठित किया है। इन परिवारों को उपरोक्त संस्थानों के माध्यम से पूंजीकरण सहायता प्रदान की जा रही है ताकि उन्हें अंतर-ऋण देने में सक्षम बनाया जा सके और उन्हें औपचारिक वित्तीय संस्थानों से जोड़ा जा सके।

चूंकि गरीब परिवारों को स्वयंसहायता समूहों में शामिल करने की प्रक्रिया और वित्तीय समावेशन संतृप्ति स्तर पर पहुँच गया है, इसलिए अब सदस्यों के लिए सतत आजीविका सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आजीविका हस्तक्षेपों के तहत, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में विभिन्न आजीविका मॉडल बनाने और उन्हें इस तरह से संयोजित करने पर ज़ोर दिया जाता है कि परिवार की आय में इस तरह से वृद्धि हो कि प्रत्येक परिवार साल में कम से कम एक लाख रुपये कमाए यानी वह लखपति बन जाए। लखपति दीदी बनाने की इस पहल में एकीकृत कृषि क्लस्टर (IFC) की उप-योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

*अतिरिक्त सचिव (ग्रामीण आजीविका), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
**उप निदेशक (प्रशासन), एनआरएलपीएस, भारत सरकार

एक एकीकृत कृषि क्लस्टर (IFC) में दो से तीन (यह राज्य के आधार पर बदल सकता है) समीपवर्ती हस्तक्षेप गाँव शामिल होते हैं, जिनमें लगभग 250-300 परिवार शामिल होते हैं। इन परिवारों को दो से तीन आजीविका विकल्पों (खेत और गैर-खेत) में सुधार के साथ मदद दी जाती है, जिसमें मज़बूत बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक होते हैं। आईएफसी रणनीति भूमिहीन, पट्टे पर ज़मीन लेने वाले किसानों, वर्षा आधारित किसानों पर ध्यान केंद्रित करती है और आय वृद्धि के लिए सबसे गरीब लोगों की आजीविका हेतु एक संपूर्ण समाधान प्रदान करने के लिए अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक लक्षित परिवार के पास पूरे वर्ष नियमित आय प्रवाह के लिए आय के कई स्त्रोत हो। इस प्रक्रिया में परिसंपत्ति निर्माण के माध्यम से क्लस्टर के भीतर उत्पादन और प्रसंस्करण/मूल्य संवर्धन, उत्पादकता बढ़ाने के लिए उत्पादकों को कौशल प्रदान करना और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सस्ती दरों पर ऋण तक पहुँच सुनिश्चित करना शामिल है।

बाजार तक पहुँच और बेहतर प्रौद्योगिकियों तक पहुँच कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं जिनका इस दृष्टिकोण में समाधान किया जा रहा है।

रणनीति

आईएफसी मिशन के उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है जहां सामाजिक लामबंदी और वित्तीय समावेशन प्रक्रियाएं संतृप्ति तक पहुँच गई हैं और उत्पादन और उत्पादकता से संबंधित प्रारंभिक आजीविका पहल अच्छी तरह से स्थापित हैं। दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक लक्षित परिवार के पास पूरे वर्ष नियमित आय के स्त्रोत हों। इसका उद्देश्य किसानों को मानसून की अनिश्चितता और बाज़ार की कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए उत्पादन में स्थिरता और उच्च लाभप्रदता पैदा करना है।

मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण एक शुरू से आखिर तक की रणनीति है। इसका उद्देश्य समन्वित तरीके से महत्वपूर्ण बाधाओं की पहचान करना और उनका समाधान करना है, जिससे मूल्य श्रृंखला की क्षमता को अनलॉक किया जा सके। इस प्रक्रिया में (i) उत्पादन और प्रसंस्करण/मूल्य संवर्धन बढ़ाने के लिए परिसंपत्ति निर्माण, (ii) उत्पादकता बढ़ाने के लिए उत्पादकों के कौशल को निखारना, (iii) सस्ती दरों पर ऋण तक पहुँच सुनिश्चित करना और (iv) बाज़ार तथा बेहतर प्रौद्योगिकियों तक पहुँच को सुविधाजनक बनाना शामिल है। इसके अलावा, जहां भी बड़ी आबादी मौजूद है, वहां छोटे जुगाली करने वाले पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने, बागवानी विविधीकरण और जलवायु-लचीली कृषि पर भी ध्यान दिया जाता है।

फ्रंट एंड (मूल्य संवर्धन और बाज़ार संपर्क) पर, क्लस्टर छोटे उत्पादक समूहों (पीजी) जैसे उत्पादक समूहों के माध्यम से गाँव और/या क्लस्टर स्तर पर व्यक्तिगत उत्पादन को सकल रूप से एकत्रित करता है। ये पीजी यानी उत्पादक समूह अनौपचारिक संस्थाएं हैं जो व्यक्तिगत उत्पादन को एकत्रित करती हैं, इस प्रकार प्राथमिक मूल्य संवर्धन और बाज़ार संपर्क की लेन-देन लागत को कम करती हैं। भौगोलिक रूप से अधिक व्यापक दृष्टिकोण में, इन छोटे उत्पादकों के समूहों को बड़े पैमाने पर एकत्रीकरण, द्वितीयक मूल्य संवर्धन/प्रसंस्करण, पैकेजिंग, लेबलिंग और बाज़ार संपर्क/विपणन के लिए सीधे और/या साझेदारी के माध्यम से उत्पादक उद्यमों में संघबद्ध किया जा सकता है।

अनुकूल माहौल बनाने के लिए 2021 में भारतीय कृषि

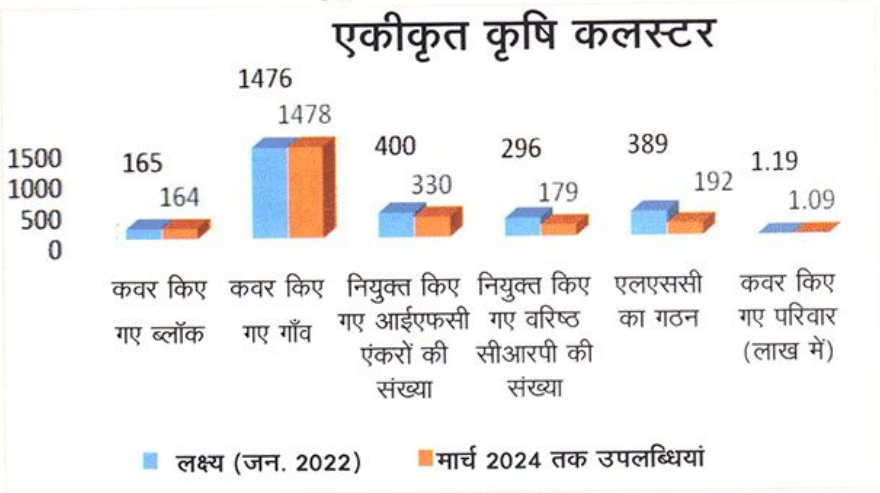

अनुसंधान परिषद (ICAR), आरसीआरसी (नागरिक समाज संगठनों का समूह) और डीएवाई-एनआरएलएम के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे आईसीएआर तकनीकी भागीदार है और आरसीआरसी अपने कई भागीदारों के माध्यम से कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करता है। कार्यक्रम का शुभारंभ दिसंबर, 2021 में रांची, झारखंड में किया गया था। पहले चरण में, विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना (NRETP) के तहत समर्थित 13 राज्यों को 400 ऐसे आईएफसी आवंटित किए गए थे, जिनकी कुल अवधि 3 वर्ष थी। भौतिक उपलब्धि के संदर्भ में उनकी प्रगति का विवरण इस प्रकार है:

महिला किसान - पथ प्रदर्शक

आईएफसी में, महिला किसान हर हस्तक्षेप में 'किसान' और 'उद्यमी' दोनों के रूप में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। परियोजना के डिज़ाइन और कार्यान्वयन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। फिर भी, यह मुद्दा जटिल है और हर क्षेत्र में मौजूद है। इसके अलावा, यह इस बात का परिणाम है कि समाज सामाजिक संरचना को कैसे देखता और संचालित करता है। इसके लिए घरेलू (एचएच) स्तर और बाहर अधिक जागरूकता और सक्रिय भागीदारी योजना की आवश्यकता है, और सभी हितधारकों की मानसिकता महिलाओं की भागीदारी के पक्ष में बदलनी चाहिए।

उद्देश्य

- आजीविका विकास की विभिन्न गतिविधियों में प्रारम्भ से अंतिम चरण तक समाधान प्रदान करना।
- प्रत्येक पहल के स्तर पर ग्रामीण परिवार की आजीविका में वृद्धि सुनिश्चित करना।
- सामूहिक आजीविका कार्रवाई के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना।

कार्यान्वयन रूपरेखा

एकीकृत कृषि क्लस्टर की स्थापना के लिए चरण-दर-चरण हस्तक्षेप की आवश्यकता है ताकि घरेलू स्तर पर विविध आजीविका गतिविधियों के साथ अंतिम समाधान प्रदान करने के वांछित लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। रूपरेखा में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **भौगोलिक पहचान:** किसी दिए गए एकीकृत कृषि क्लस्टर की भौगोलिक रूपरेखा की पहचान पहुँच, समान वस्तुओं और समान सामाजिक संरचना के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है जहां महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय आदि के साथ मिशन अभिसरण के माध्यम से आजीविका परिसंपत्तियों के निर्माण की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं।
- **परिवारों की पहचान :** परियोजना के लाभार्थियों को मौजूदा स्वयं सहायता समूहों से लिया जाएगा, जिन्हें मिशन प्रायोजित कृषि आजीविका गतिविधियों में शामिल किया जाएगा। आईएफसी क्लस्टर में शामिल होने में रुचि रखने वाली महिला किसानों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि या पशुपालन होना चाहिए। उन्हें किसान फील्ड स्कूल के साथ सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए और मौजूदा उत्पादक समूह या उत्पादक कंपनी का हिस्सा हो सकते हैं।
- **वस्तु की पहचान :** किसानों की प्रारंभिक स्थिति और क्षेत्र में कृषि के स्तर का आकलन करने के लिए चयनित कलस्टर क्षेत्र में एक अध्ययन किया जाता है। अध्ययन से आईएफसी कलस्टर में प्रचार के लिए संभावित उत्पादों की पहचान करने में भी मदद मिलेगी। इसे खेती और छोटे, सीमांत और पट्टे पर ज़मीन लेने वाले किसानों की मौजूदा स्थिति से संबंधित डेटा तैयार करने में मदद के लिए किया जाना है। अध्ययन का उद्देश्य 2-3 वस्तुओं की पहचान करना है जो या तो पहल करने वाले परिवारों के बीच सार्वभौमिक हैं या जिन्हें अच्छी मार्केटिंग क्षमता के साथ आसानी से अपनाया जा सकता है। यह समझना ज़रूरी है कि चूंकि हस्तक्षेप 2-3 वस्तुओं में होता है सभी हस्तक्षेप करने वाले परिवारों के लिए मूल्य श्रृंखला होती है इसलिए प्रत्येक परिवार में उनकी अनुकूलनशीलता अनिवार्य है।

- **मानव संसाधन की नियुक्ति :** दिशा-निर्देशों में दो समर्पित मानव संसाधनों का प्रावधान हैं। इनमें एक आईएफसी एंकर और एक वरिष्ठ सामुदायिक संसाधन व्यक्ति होता है जो आईएफसी के कार्यान्वयन में मदद के लिए होता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि परियोजना के सुचारू संचालन के लिए दोनों मानव संसाधनों की पहचान, प्रशिक्षण और तैनाती की जाए।

आईएफसी एंकर के पास कृषि या संबद्ध विज्ञान में डिग्री/डिप्लोमा होना चाहिए और कृषि या कृषि-आधारित आजीविका संवर्धन में कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए। विस्तार और विपणन में अनुभव होने पर प्राथमिकता दी जाती है। यदि कृषि या संबद्ध विज्ञान में डिग्री वाले उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो नियमित स्नातक की डिग्री और कृषि में 2 साल का प्रासंगिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति पर इस पद के लिए विचार किया जा सकता है।

वरिष्ठ सीआरपी अनुभवी कृषि सखी, पशु सखी, वन सखी या डीएवाई-एनआरएलएम के तहत विकसित उद्योग सखी हो सकती है। वरिष्ठ सीआरपी का चयन उन लोगों में से किया जाना चाहिए, जो दो साल से अधिक समय से सक्रिय हों और उद्यमशील हों। उन्हें अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना चाहिए और राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई (एनएमएमयू) द्वारा विकसित एवं अनुमोदित सीआरपी मॉड्यूल के अनुसार सभी प्रशिक्षण प्राप्त करने चाहिए।

- **बेसलाईन सर्वे :** क्लस्टर का प्रारंभिक सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है। बेसलाईन मूल्यांकन में संभावित उपक्रम, योजना विकास और व्यवसाय योजना की पहचान करने के लिए विभिन्न कारकों को शामिल किया जाता है। यह भविष्य के परिणाम संकेतकों के आधार पर आधार आंकड़े स्थापित करने में मदद करता है जिन्हें योगदान में बदलाव को समझने के लिए मापा जा सकता है। मूल्यांकन संरचित परिवार-स्तरीय साक्षात्कारों और विभिन्न हितधारकों के साथ ओपन एंड फ़ोकस समूह चर्चाओं के माध्यम से स्तरीय क्रमरहित नमूने का उपयोग करके किया जाएगा।

- **प्रशिक्षण एवं क्षमता संरचना का विकास :** प्रत्येक एकीकृत कृषि क्लस्टर भूगोल, जलवायु, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मानदंडों तथा हस्तक्षेप वस्तुओं के संदर्भ में अपने आप में अद्वितीय है। इसलिए प्रत्येक क्लस्टर में प्रशिक्षण की आवश्यकताएं और दृष्टिकोण अलग-अलग हैं। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि सीआरपी, महिला किसान परिवारों और संबंधित कर्मचारियों के लिए आवश्यकताओं और पहचानी गई वस्तुओं को देखते हुए प्रशिक्षण सामग्री विकसित की जाए। इसके लिए संबद्ध कृषि विकास केंद्रों/आरसीआरसी भागीदारों का सहयोग लिया जा सकता है।
- **कमोडिटी वॉर हस्तक्षेप के लिए व्यवसाय योजना:** व्यवसाय नियोजन आईएफसी कार्यान्वयन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। एक क्लस्टर के 250-300 परिवारों के लिए 2-3 वस्तुओं की पहचान के बाद उत्पादन/उत्पादकता प्रसंस्करण (प्राथमिक और द्वितीयक) और विपणन के संदर्भ में प्रत्येक वस्तु के लिए की जाने वाली गतिविधियों के लिए योजना विकसित की जानी चाहिए। जबकि बेसलाइन मूल्यांकन के आंकड़े या द्वितीयक डेटा किसान सदस्यों के लिए उत्पादों और सेवाओं को किस स्तर से विकसित किया जाना चाहिए। ये समझने के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान कर सकते हैं हालांकि विपणन पहलू का सामूहिक दृश्य अधिक महत्वपूर्ण होगा।

ऐसे में विभिन्न पहलुओं पर अनुमानों के साथ एक उचित व्यवसाय योजना विकसित करना महत्वपूर्ण है।

- **आजीविका सेवा केंद्र :** इस केंद्र की परिकल्पना सीनियर सीआरपी द्वारा संचालित इनपुट, प्रसंस्करण और आउटपुट सेवाओं के केंद्र के रूप में की गई है। प्रगतिशील कृषि क्षेत्रों में, निजी खिलाड़ी इनपुट शॉप, कृषि मशीनरी, नर्सरी और पौधे आदि जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं, इसी तरह पशुधन क्लिनिक के लिए चारा, दवाइयाँ आदि। ये सेवाएँ क्लस्टर-आधारित विकास के लिए अनिवार्य हैं। इसलिए आजीविका सेवा केंद्र क्लस्टर स्तर पर विकसित किया गया है

कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम

'लखपति दीदी' कार्यक्रम के तहत 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का उद्देश्य है, उसी का एक आयाम है कृषि सखी। कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि सखियों को प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट प्रदान करने के साथ-साथ 'कृषि सखी' को 'कृषि पैरा-एक्सटेंशन सहायक' बनाना है। कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम 'लखपति दीदी' कार्यक्रम के उद्देश्यों को भी पूरा करता है।

कृषि सखियों को निम्नलिखित मॉड्यूल पर 56 दिनों के लिए विभिन्न विस्तार सेवा पर प्रशिक्षित किया जा रहा है-

- भूमि की तैयारी से लेकर फसल काटने तक कृषि पारिस्थितिकी अभ्यास
- किसान फील्ड स्कूलों का आयोजन
- बीज बैंक + स्थापना एवं प्रबंधन
- मृदा स्वास्थ्य, मृदा और नमी संरक्षण प्रथाएं
- एकीकृत कृषि प्रणाली
- पशुधन प्रबंधन की मूल बातें
- बायो इनपुट की तैयारी, उपयोग एवं बायो इनपुट दुकानों की स्थापना
- बुनियादी संचार कौशल

अभी ये कृषि सखियाँ मैनेज (MANAGE) और डीएवाई - एनआरएलएम के माध्यम से प्राकृतिक खेती और मृदा स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण ले रही हैं। प्रशिक्षण के बाद, कृषि सखियां एक दक्षता परीक्षा देंगी। जो सखियां उत्तीर्ण होंगी उन्हें पैरा-विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित किया जाएगा, जिससे वे निर्धारित संसाधन शुल्क पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की गतिविधियाँ करने में सक्षम होंगी। औसत कृषि सखी एक वर्ष में 60 हज़ार से 80 हज़ार रुपये तक कमा सकती है। अब तक 70,000 में से 34,000 कृषि सखियों को पैरा-विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है। कृषि सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला चरण 12 राज्यों में शुरू किया गया है।

वर्तमान में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन योजना (मोवकडनर) के तहत 30 कृषि सखियां स्थानीय संसाधन व्यक्ति (LRP) के रूप में काम कर रही हैं, जो हर महीने में एक बार प्रत्येक खेत पर जाकर कृषि गतिविधियों की निगरानी करती हैं और किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझती हैं। वे किसानों को प्रशिक्षित करने, किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों, एफ़पीओ के कामकाज एवं विपणन गतिविधियों को समझने और किसान डायरी रखने के लिए हर हफ्ते किसान हित समूह (FIG) स्तर की बैठकें भी आयोजित करती हैं। उन्हें उल्लिखित गतिविधियों के लिए प्रति माह 4500 रुपये का संसाधन शुल्क दिया जाता है।

जहाँ इनमें से कुछ सेवाएं किसानों को उचित दर पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं। एंकर, सीनियर सीआरपी और ब्लॉक मिशन इकाई इन केंद्रों का प्रबंधन करते हैं।

किसानों को अपनी उपज का निपटान करना मुश्किल लगता है, 40/60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाज़ार उनकी उपज को बेचने में लगने वाले समय और लागत को बढ़ा देता है। आजीविका केंद्र से यह अपेक्षा की जाती है कि वह फसल खरीदें और छंटाई, ग्रेडिंग, थोक बिक्री करें तथा बाज़ार के साथ संपर्क स्थापित करें। इस संबंध में किसान उत्पादक संगठनों के रूप में निजी उद्यमियों और सामुदायिक उद्यमों का भी लाभ उठाया जा सकता है। मूल्य श्रृंखला अंतर विश्लेषण के आधार पर आजीविका सेवा केंद्र के घटक इस प्रकार हैं:

- **इनपुट :** केंद्र संबंधित परिवारों की आवश्यकता के आकलन और कार्यक्षेत्र के आधार पर बीज, उर्वरक, नर्सरी, प्रदर्शन भूखंड, कृमि मुक्ति, टीकाकरण आदि जैसे इनपुट गतिविधि के लिए संपर्क बिंदु के रूप में कार्य कर सकता है।
- **प्रसंस्करण:** इसके दो घटक हैं- प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण। प्रसंस्करण इकाई की आवश्यकता और सामुदायिक आवश्यकता, प्रसंस्करण इकाई की क्षमता उपयोग, प्रसंस्करण केंद्र में एकत्रित संसाधनों का इष्टतम उपयोग और रूप, स्थान और समय के संदर्भ में प्राप्त मूल्य के आधार पर वस्तुवार व्यवसाय योजना के अधीन है। उदाहरण के लिए, यदि कोई आजीविका संसाधन केंद्र 100 टन सरसो एकत्र कर रहा है और एक टन दैनिक क्षमता वाली तेल

मिल स्थापित करने की योजना बना रहा है, तो कुल संचालन दिन केवल 100 दिन होंगे। अगले 265 दिनों के लिए आप क्या उत्पादन प्राप्त करने का प्रस्ताव रखते हैं? क्या हम तीसरे पक्ष के तेल निष्कर्षण के लिए जा सकते हैं? इन सवालों को केंद्रों द्वारा हल करने की आवश्यकता है।

- **आउटपुट** : कमोडिटी वॉर आउटपुट गतिविधि की योजना फिर से इसके उपयोग पर निर्भर है। बाज़ार पक्ष के हस्तक्षेप के लिए इस स्तर पर विकल्प उत्पादक समूह, व्यापारी और उत्पादक उद्यम आदि हैं। अन्य हस्तक्षेप में भंडारण, प्राथमिक मूल्य संवर्धन आदि शामिल हो सकते हैं।
- **विपणन पक्ष हस्तक्षेप**: संभावित हस्तक्षेप की तीन प्रमुख श्रेणियां हैं: कटाई के बाद मूल्य संवर्धन के लिए सीमित गुंजाइश वाली वस्तुएं: हस्तक्षेप उत्पादन से पहले, उत्पादन और कटाई के बाद तक सीमित होगा- वस्तु की ग्रेडिंग और छंटाई तक। जहाँ भी लागू हो, वहाँ सुखाने को भी शामिल किया जा सकता है। छंटाई, ग्रेडिंग और सुखाने के उपकरण से लेकर सुखाने के यार्ड तक के क्षेत्रों में निवेश की आवश्यकता हो सकती है।

फसल-उपरांत मूल्य संवर्धन की उच्च संभावना वाली वस्तुएँ : हस्तक्षेप में थोक और सूक्ष्म पैकिंग में प्रसंस्करण और पैकिंग भी शामिल होगी। प्रसंस्करण सुविधाओं और पैकिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए आवश्यक निवेश अधिक होगा। आईएफसी परियोजना का उद्देश्य तृतीयक स्तर के प्रसंस्करण को बढ़ावा देना नहीं है।

पशुधन मूल्य संवर्धन : टीकाकरण और वैज्ञानिक पालन के माध्यम से पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए ट्रेसेबिलिटी स्थापित करने में निवेश करना होगा।

समूह (पीजी) बनाना : यदि मौजूदा एफपीसी हैं, तो आईएफसी परियोजना को उस इकाई के साथ सहयोग करना चाहिए। मौजूदा उत्पादक समूह को बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए। किसानों का नामांकन आईएफसी का अनुसरण कर सकता है। पीजी सदस्य सीआरपी की मदद से आजीविका विजनिंग सह नियोजन अभ्यास में भाग लेंगे, ताकि प्रति परिवार 2 से 5 आर्थिक गतिविधियों की पहचान की जा सके। उन्हें मौजूदा मुद्दों और बाधाओं को सूचीबद्ध करना चाहिए, उन्हें संबोधित करने के लिए एक रणनीति विकसित करनी चाहिए और परियोजना से आवश्यक सहायता प्रदान करनी चाहिए। प्रत्येक पीजी एक थीम-वार मौसमी गतिविधि कैलेंडर बनाएगा, और सीआरपी और आईएफसी 'एंकर योजना' को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे।

- **वित्तपोषण**: लाख रुपये तक का समर्थन करता है, जबकि आगे की निधि आवश्यकताओं को विभिन्न संबंधित विभागों के साथ अभिसरण, संबंधित राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों द्वारा सीएसओ और निजी संगठनों के माध्यम से समर्थन के माध्यम से बनाए रखा जाना है।
- **परियोजना कार्यान्वयन**: इस परियोजना की अवधारणा शुरू में 13 राज्यों में की गई थी, जिन्हें विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना (एनआरईटीपी) के माध्यम से सहायता दी गई थी, अर्थात असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा , तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। एनआरईटीपी के तहत कुल 400 ऐसे क्लस्टर स्वीकृत किए गए थे। उनकी सफलता और मजबूत रणनीति को देखते हुए, डीएवाई-एनआरएलएम के तहत उप-घटक महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना के तहत 6,000 और क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं।

सफलता की कहानी

छत्तीसगढ़ के कोंडागांव ज़िले के कोंडागांव ब्लॉक में, आईएफसी क्लस्टर की सफलता ने 4 गाँवों में फैले 250 परिवारों के लिए आर्थिक लाभ के मामले में अनुकरणीय परिणाम दिखाए हैं। हस्तक्षेप के लिए पहचानी गई चार वस्तुएं- मक्का, सब्जियाँ, गैर-लकड़ी वन उपज और मुर्गी पालन था। इन वस्तुओं में अंतिम हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप प्रति सदस्य आय 1,000 रुपये प्रति माह से बढ़कर 12,000 रुपये प्रति माह हो गई है। यह रिकॉर्ड में है कि 3-4 वस्तुओं में योजनाबद्ध हस्तक्षेप से घर की खाद्य पर्याप्तता में वृद्धि हुई है और यह लखपति दीदी पहल में प्रमुख गेम चेंजर रहा है।

निष्कर्ष

एकीकृत कृषि क्लस्टर डीएवाई-एनआरएलएम द्वारा शुरू की गई एक नई और अभिनव अवधारणा है जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब एसएचजी परिवारों को संरचित तरीके से टिकाऊ और विविध आजीविका विकल्प प्रदान करना है। उचित नियोजन और बाज़ार केंद्रित रणनीति के कारण, यह समुदाय में आत्मविश्वास पैदा करने और उन व्यक्तियों की उद्यमशीलता की योग्यता को सामने लाने में सक्षम रहा है जो मूल्य शृंखला में विभिन्न आजीविका विकल्पों के लिए 'लिंक प्वाइंट' के रूप में काम कर रहे हैं। यह कार्यक्रम निश्चित रूप से लखपति दीदी के विज़न से कहीं अधिक महिला किसानों की आय बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। ❑